

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 16 / 2019

दिनांक - 07/6/2019

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मरवाही हल्का श्री 14 में गैर रिपोर्ट (सी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सायल 321213 में गैर सायल 321213 पुत्र श्री 321213 जाति मेवाड़ शास्त्रि 321213 ने ग्राम 321213 के खतमंठ 130 रकबा 321213 में साजायज 321213 कर अतिक्रमण किया है। अप्राथी 321213 की संयुक्त शू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकाशण दर्ज कर आदेश किया गया जो कि बाद तामिल शागिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषप्रद नहीं होने के कारण गैर सायल श्री 321213 पुत्र श्री 321213 जाति मेवाड़ शास्त्रि 321213 को ग्राम 321213 के खतमंठ 130 रकबा 321213 में अतिचार करने पर राज.शू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा शू-राजस्व दर 321213 का 50 गुणा 02 रुपये शास्त्रि से दण्डित किया जाता है तथा गौंके से बेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तायान बखली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/6/2019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरणसर